P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-3* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय आर्थिक विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका : एक आलोचनात्मक अध्ययन

ज्योति भरड़े
शोधार्थी,
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी, म.प्र.

सपना सोनी
प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी, म.प्र.

सारांश

अर्थव्यवस्था का विकास एक बड़ी सीमा तक वित्तीय एवं बैंकिग संस्थाओं का सफल संचालन एवं प्रभावकारी कार्य पद्धति पर निर्भर करता है, अतः वित्तीय एवं बैकिंग संस्थाएँ आधुनिक व्यापारिक समाज की आवश्यकता बन गयी है। बैंकिंग संस्था भी एक लाभ कमाने वाली संस्था है, जो अपने ग्राहको से निपेक्ष प्राप्त कर उस पर ब्याज प्रदान करती है, तथा प्राप्त निक्षपों को विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग करके आय अर्जित करती है। जो भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान करते है, उसमे अधिसंख्य भाग निक्षेप कर्ताओं की जमाओं का होता है, इसलिए बैंकों को अग्रिम तथा ऋणों को प्रदान करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते समय राष्ट्रीय हित तथा देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों स्वीकृत कार्यक्रमों का बढ़ावा देने और उन्हे वांछनीय दिशा प्रदान करने के सिद्धांतो का अनुपालन भी करना पड़ता है।

मुख्य शब्द : भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण बैंक।

प्रस्तावना

भारत में आज शिक्षित एवं ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या अत्यंत व्यापक हो गयी है। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई बेरोजगारी की संख्या ने न केवल अर्थतंत्र को झकझोर दिया है। हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या में परिवर्तन कितना आश्चर्यजनक है। यहाँ योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया है जिससे देश के अंसख्य एवं मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम दोहन सम्भव हो सके।

वर्तमान समय का व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है, कि जो कभी साहुकार के चंगुल में फंसा रहता था आज वह ऋण सुविधाओं के माध्यम अर्थात बैंकों की सहायता से जीवन यापन करने में सक्षम हो गया है। सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है, परंतु नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है, जिनका लक्ष्य किसी जन–समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार करना होता है।

भारत को उन्नत करना है तो गाँवों की दशा सुधारनी होगी और गाँधीजी के नारे "गाँवों को वापिस चलो" को ध्यान में रखाना होगा, इसलिए समय–समय पर अनेक योजनाएँ बनाई गई इन योजनाओं के माध्यम से गाँवों की तस्वीर बदलने की हर संभव कोशिश की गई और यह कोशिश सफल भी रही है। इसी कड़ी में केन्द्र द्वारा गाँवों को उन्नत बनाने के लिए ही भारत निर्माण योजना लागू की गई। जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गाँवो के किसी एक क्षेत्र का विकास न करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास की बात को लिया गया है साथ ही गाँवों को आर्थिक सहायता देकर केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं की गयी है, बल्कि गाँवों में ऐसी बुनियादी सुविधाएँ जुटाने की कोशिश की गई है जिससे गाँव स्वयं ही अपना विकास कर सके यह योजना के माध्यम से एक प्रकार से गाँवों को बैसाखिया न देकर उन्हे अपने ही पैरों पर मजबूती से खड़े होने लायक बनाती है। साथ ही यह भारत निर्माण योजनाओं से गाँवों में उद्योगों की स्थापना, लोगो के रहन सहन में आधुनिकता लाना व शहरों से जोड़ना जैसे क्रायक्रम अपनाए गये जिससे गाँवों से पलायन काफी हद तक रूका है, एवं गाँवों में ही शहरों की सुविधाए उपलब्ध हो रही है। जिसका असर आर्थिक विकास पर गहरा पड़ा है और गाँवों के लोगो के जीवन स्तर में बदलाव आया है। ग्रामीण बैंकों के माध्यम से गाँवों के लोगो का पलायन रूकने के साथ–साथ में ही रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाएँ बढ़ गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारतीय अर्थिक विकास में ग्रामीण बैंकों द्वारा पडने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

ग्रामीण बैंकों का आशय एवं अवधारणा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नियोजित विकास के दौरान औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया जिससे अर्थव्यवस्था की रीढ जो कि कृषि क्षेत्र है, उपेक्षित रहा क्योंकि वित्तीय नियोजन की दृष्टि से भारत सरकार ने पाया कि निजी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की पूर्णतः उपेक्षा की गई थी। सहकारी संस्थाओं की प्रगति असन्तुलित होने के साथ इनके द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पा रही थी, साथ ही सहकारी संस्थाओं में मामूली जगह संग्रहण, प्रबंधकीय कमजोरियाँ और इसी प्रकार की कुछ मूलभूत अपर्याप्ताएँ पायी जाती रही है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखा विस्तार तेजी से होते हुए भी कई क्षेत्र बैंक सेवा से अनछूए रह जाते थे।

आर्थिक विकास की और गतिशील देश में ग्रामीण साख वितरण की भारी विषमताओं के कारण बैंकिग आयोग ने 1972 में ग्रामीण बैकों की स्थापना का जोरदार शब्दों में ध्यान प्रस्ताव किया। इसी संदर्भ में केन्द्रीय वित्त मंत्री जून 1975 में यह सुझाव रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि व्यापार एवं लघु उद्योंगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा लघु बचतों को संग्रहित करने एवं वाणिज्यिक बैंको द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों के पूरक प्रयत्न के रूप में अलग ऋण संस्था की स्थापना की जाये।

बैंकिग आयोग के उक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के नरसिंहम समिति का गठन किया। नरसिंहम समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देते हुए सुझाव दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए यह आवश्यक है, कि वह स्थानीय भावनाओं से पारिवारिक रूप से संबधित हो तथा ये समस्याएँ जो सहकारिता तथा व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक की तरह ही हो। नरसिंहम समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का अध्यादेश 26 सितम्बर 1976 को जारी किया गया जिसे संसद द्वारा 19 फरवरी 1976 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के नाम से पारित किया गया। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकिग अधिनियम ग्रामीण 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक की आवश्यकता एवं उद्देश्य के बारे में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैकिंग सुविधाएँ पहूँचाने के उद्देश्य ये की गई है, जहाँ पर ये सुविधाएँ नहीं हैं। इन बैकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिकल्पना ऐसे संस्थाओं के रूप में की गई है। जो सहकारी संस्थाओं की तरह स्थानीय बैकिंग जरूरते पूरी करें, और जिन्हे बैंकों की तरह जरूरते भी पूरी करे। ग्रामीण बैंकों का अर्थ ग्रामीण बचत को जुटाकर गाँवों में उत्पादक गतिविधियों में भी लगती हो।

ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऐसे ऋण दिये जाते है, जिनसे बेरोजगारी तो दूर होगी ही, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो, इसलिए दस्तकार ग्रामीण शिल्पी, कृषि कार्य , पशुपालन , मछलीपालन आदि कार्यो के लिए भी ग्रामीण बैंक द्वारा वित्त पोषण किया जाने लगा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से यह अपेक्षा की गई कि स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये स्थानीय लोगों की ऋण संबधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगे। विशेष रूप से लघु कृषक, भूमिहीन मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान करेंगे, जिससे स्थानीय जनसंख्या की आय में वृद्धि होकर क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकेगा। भारत सरकार ने प्रारम्भ में 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया जिसमें से सर्वप्रथम पाँच बैंकों का शुभारम्भ अक्टूबर 1975 को किया गया जो निम्न हैः–

1. मुरादाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी ।
3. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी ।
4. जयपुर–नागपुर आँवलिक ग्रामीण बैंक जयपुर ।
5. गार ग्रामीण बैंक मालदा ।

ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंध हेतु प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक संचालक मण्डल का गठन किया जाएगा। जिसमें भारत शासन राज्य शासन तथा प्रयोजक बैंक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होगें । संचालक मण्डल के अध्यक्ष तथा अधिकतम पंद्रह संचालक होगें। केन्द्र शासन द्वारा राज्य तीन राज्य शासन द्वारा दो तथा प्रायोजक बैंक द्वारा तीन संचालक नियुक्त किए जाएगे।

अध्यक्ष की समयावधि पाँच वर्ष और प्रत्येक संचालक की समयावधि दो वर्ष होगी। समयावधि तय करने के संबध में केन्द्र शासन का विशेषाधिकार होगा तथा बैंक अपनी आवश्यकताअनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजक बैंक प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा।

संगठनात्मक संरचना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों का प्रदानुक्रम निम्न प्रकार का होता हैः–

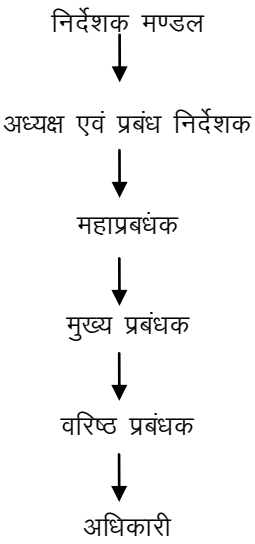

संचालक मण्डल

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक अध्यक्ष, भारत शासन के तीन प्रतिनिधी मध्यप्रदेश शासन एवं प्रायोजक बैंक के क्रमशः दो–दो प्रतिनिधि शामिल है। इस प्रकार संचालक मण्डल में अध्यक्ष सहित कुल आठ सदस्य होते है।

प्रबंधकीय संरचना

क्षेत्रीय ग्रामीण की प्रबंधकीय संरचना में सामान्य प्रशासन एवं प्रबंधकीय व्यवस्था अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के समान संचालक मण्डल के अधीन की जाती है जिसका सर्वोच्च अधिकारी बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के कार्यालय के अधिन एक सचिवालय कार्यरत है, संचालक मण्डल द्वारा लिये गये विभिन्न निर्देशों को इस सचिवालय के माध्यम से ही अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

बैकिंग गतिविधियाँ

ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र प्रायः एक या दो जिलों तक सीमित है और छोटे किसानों ग्रामीण कारीगरों एवं सामान्य व्यापारियों आदि के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है। इन बैकों द्वारा दिये गये ऋणों पर कम दर से ब्याज लिया जाता है, जो सहकारी समितियों द्वारा वसूल किए जाने वाली ब्याज दर के समान है।

बैंकिंग संस्थान के मुख्यतः दो प्रधान कार्य होते है– प्रथम कार्य जनता की जमा राशि स्वीकार करना तथा द्वितीय उत्पादक गतिविधियों हेतू ऋण एवं साख की पूर्ति करना, चूँकि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण साख की व्यवस्था करना है इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में इसका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को कृषि संबधी भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कार्य के आधार पर बाँटा गया है। साथ ही आवश्यकताओं के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान करना है।

ग्रामीण बैंकों की वर्तमान स्थिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैकिंग सुविधाए पहूँचाने के उद्देश्य से की गई है, जहाँ पर ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गो के लोगो का रियासती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत् हैं सितबंर 2005 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में गठित किए गए कार्यकारी दल (केलकर समिति) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 के बाद कोई नया बैंक नहीं खोला गया।

सन 2006 में समामेलन प्रक्रिया पश्चात यह संख्या घटकर 133 हो गई। समामेलन प्रक्रिया निरन्तर रहते हुए भारत में ग्रामीण बैंकों की संख्या 2011 में 82, 2013 में 64 तथा 2015 में 56 हो गई। समामेलन के द्वारा बैंकों को मजबूती प्रदान की गई। 2017 में यह संख्या बढकर 86 हो गई जिसे निम्न तालिका द्वारा बताया गया है–

तालिका

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण की बैंकों की स्थिति

क्रंमाक	वर्ष	ग्रामीण बैंको की संख्या
01.	2005	196
02.	2006	133
03.	2011	82
04.	2013	64
05.	2015	56
06.	2017	86

स्रोतः मध्यप्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2016–17 मध्यप्रदेश शासन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करके सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर 2005 से चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, जो वर्तमान में भी जारी है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों की संख्या 2015 में लगातार कम होती गई और यह घटकर 56 हो गई तथा 2017 में यह संख्या बढ़कर 86 हो गई।

समस्याएँ

1. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत संचालक, संचालक मंडल की सभाओं में कम ही उपस्थित हो पाते है, जिससे वे सक्रिय रूप से बैंक की समस्याओं के हल में भागीदार नहीं हो पाते।
2. शाखाओं का दूरस्थ ग्रामीण अंचलो तक फैले होने के कारण अध्यक्ष और शाखा प्रबधंक के मध्य उचित सम्प्रेषण नहीं हो पाता, साथ ही शाखाओं का अपने व्यापार एवं ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतू दूरस्थ स्थानों तक फैले होने के कारण उन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पाते है।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निक्षेप सुरक्षा चिंता का विषय है। अधिकांश शाखाओं में पाया गया है, कि वे उचित स्थान एवं उपयुक्त भवन के अभाव में असुरक्षित है। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमजोर है, जिससे सुरक्षा का जोखिम बना रहता है।

4. ग्रामीण बैंक शाखाओं को अनेक अवसरों पर मुख्यालय पर आश्रित रहना पड़ता है। बैंक संबधित क्षेत्र के तहसीलदार, विकासखण्ड अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षण के कार्यो पर भी निर्भर होते हैं। जिससे प्रशासनिक कामकाज सुढ़ृढ़ नहीं हो सकता।
5. ऋण स्वीकृत करते समय प्रबंधको को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवेदक ऋण प्राप्ति से सबधित बहुत सी औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करते है, जिससे ऋण स्वीकृति की समस्या उत्पन्न होती है।
6. समय–समय पर परिवर्तित ब्याज दरों का प्रभाव इन बैंक के ऋणों एवं निक्षेपों पर पड़ता है,क्योंकि हितग्राही परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते है।

समाधान

1. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत संचालक, संचालक मण्डल की सभाओं में उपस्थिती देना चाहिए जिससे वे सक्रिय रूप से बैंकों की समस्याओं के हल निकाल सके।
2. बैंक का उचित स्थानों पर खुला होना चाहिए, जिससे वे सक्रिय रूप से बैंकों की समस्याओं के हल निकाल सके।
3. बैंकों का भवन भी उपयुक्त होना चाहिए अर्थात दीवाले पक्की, स्ट्रांगरूप, लोहे की ग्रिल या चौकीदार होना चाहिए, जिससे निपेक्षों को सुरक्षित रखा जा सके।
4. राज्य में क्षेत्रीय बैंक को आवासीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहिए। प्रशिक्षण लागत प्रवर्तक बैंक द्वारा वहन की जाती है, उसे सभी हिस्सेदारों (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक) में विभक्त किया जाना चाहिए।
5. बैंक प्राधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिसमें ऋण स्वीकृति एवं संग्रहण आदि का उल्लेख हो।
6. परिवर्तित ब्याज दरों से हितग्राही को समय–समय पर आगामी सूचनाएँ उपलब्ध करवाना चाहिए , जिससे वे परिवर्तित ब्याज दरों को स्वीकार करने में हिचकिचाए नहीं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों में साख एवं तत्संबधी सुविधायें प्रदान करने के जो भी प्रयास किये गये, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ, क्योंकि परम्परागत शैली में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख संबधी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित एवं असंगठित दोनो वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही हो रही थी जिससे साख परिचालन व्यवस्था अत्यंत गंभीर रहीं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार करते हुए कहा कि संगठित क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनसंख्या के एक अल्प भाग को ही सहयोग प्राप्त हुआ है, अतः सामाजिक ब्याज एवं व्यवस्था के समुचित नियंत्रण हेतु 9 अगस्त 1963 को बैंक का राष्ट्रीकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीकरण के साथ ही ग्रामीण साख संरचना को नये स्वरूप में विकसित करने के उद्देश्य से ही ग्रामीण बैंक अवधारणा उदित हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समाज का सतत विकसित कर उसे आर्थिक उपार्जन में संलग्न करना रहा है, ताकि सामाजिक उन्नयन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण बैंकों की स्थापना एवं विकास गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि भारत के उन ग्राम्य प्रधान राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को काफी सफलता मिली साथ ही ग्रामीण बैंकों का गठन, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू किया गया है। ग्रामीण कृषक, कारीगर, खेतिहर, मजदूर, तकनीकी व गैर तकनीकों बेरोजगारो को भी विविध ऋण योजनाओ के माध्यम से स्वस्थ विकास का मार्ग भी इन बैकों ने प्रशस्त किया है, जिससे क्षेत्र के लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में इनकी भूमिका कारगर सिद्ध हुई है। ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने क्रार्यक्रम में विविध ऋण योजनाओं यथा–प्रत्यक्ष कृषि ऋण, एवं अप्रत्यक्ष कृषि ऋण उपभोग ऋण आभूषणों के विरूद्ध ऋण एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम ग्राम गोद लेने की योजना आदि संचालित की जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- *www.google.com*
2. *समाचार पत्र।*
3. *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियाँ– डॉ. डी.पी.यादव।*
4. *व्यवसायिक उद्यमिता , जी.एस.सुधा , रमेश बुक डिपो, जयपुर।*
5. *भारतीय अर्थव्यवस्था–महेश कुमार बर्णमाल।*
6. *बैंकिंग के सिंद्धात जे.ए.आई.आई.बी , टेक्समैंन पब्लिकेशन प्रा.लि. नई दिल्ली ।*